भाग – **III**

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 28 जुलाई, 2017

संख्या का0आ0 55/ह0अ0 11/1994/धा0 209/2017.– हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995, को आगे संशोधित करने के लिये, नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का 11), की धारा 209 की उप धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त धारा की उप धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार नियमों के प्रारूप पर ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जायें, विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 में, नियम 12 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**12 क, गली, पटरी या नाली को खोदने, परिवर्तित करने अथवा क्षतिग्रस्त करने की अनुमति देना। धारा 24(3)–**

(1) यदि संबंधित गांव के ग्रामवासियों द्वारा आबादी देह के भीतर पहले से बिछाई गई पाइप लाईन से कनेक्शन जोड़ने के प्रयोजन के लिए गली, पटरी या नाली को खोदना, परिवर्तित करना या क्षतिग्रस्त करना अपेक्षित है, तो जब तक अनुज्ञा प्राप्त करने वाला व्यक्ति उपमण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किए गए अनुमान अनुसार, पुनः स्थापन प्रभार संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में बैंक अन्तरण/बैंक ड्राफट, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा जमा नहीं करवाता है, तब तक ग्राम पंचायत द्वारा अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी। ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि गली/पटरी/नाली यथा सम्भव शीघ्र, किन्तु आवेदक द्वारा कार्य सम्पूर्ण करने की तिथि से तीस दिन के बाद नहीं, उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापित कर दी गई है।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग अवसंरचना बिछाने के प्रयोजन के लिए ग्राम पंचायत के स्वामित्वाधीन गली/पटरी/नाली को खोदना, परिवर्तित करना, क्षतिग्रस्त करना या उपयोग करना किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, तो आवेदक इस बारे में आवेदन ग्राम पंचायत को प्रस्तुत कर सकता है तथा उसके पश्चात् ग्राम पंचायत, संकल्प पारित करते हुए प्रस्ताव संबंधित खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से संबंधित उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) को अग्रेषित करेगी।

(3) (i) सम्बद्ध उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में और जिला नगर योजनाकार या उसका प्रतिनिधि जो सहायक नगर योजनाकार से कम पदवी का न हो, (ii) संबंधित खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी, (iii) उप–मण्डल अधिकारी(पंचायती राज) से मिलकर बनने वाली समिति, उपरोक्त आवेदन पत्र की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे आवेदन पत्र पर विचार करेगी और उपायुक्त को अपनी सिफारिश करेगी।

(4) उपायुक्त, उक्त समिति की रिपोर्ट का निरीक्षण करेगा और प्रस्ताव में संशोधन सहित या के बिना निदेशक पंचायत को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करेगा। निदेशक, पंचायत की राय में अनुमति प्रदान करना लोक हित में नहीं है, तो अनुमति प्रदान करने से इन्कार कर सकता है।

(5) निदेशक, पंचायत या तो स्वप्रेरणा से या पंचायत या गांव के निवासी या खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी अनुमोदन की वैधता या औचित्य के संबंध में अपनी संतुष्टि करने के प्रयोजन के लिए रिकार्ड का निरीक्षण कर सकता है। यदि ऐसा अनुमोदन गांव वासियों के हित में हानिकारक पाया जाता है और लोकहित में इससे आगे अपेक्षित नहीं है, तो सक्षम अधिकारी, जैसा वह उचित समझे, जांच करने के उपरान्त, उसे रद्द कर सकता है। पंचायत, अवसंरचना तथा उस पर निर्माण, यदि कोई हो, को हटाने में सक्षम होगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर भुगतान योग्य नहीं होगा।

(6) निदेशक के अनुमोदन के बाद, आवेदक, उपयोगी अवसंरचना बिछाने के लिए प्रयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 5 प्रतिशत के बराबर की राशि की दर पर एक मुश्त एक बार भूमि प्रयोग के शुल्क के अतिरिक्त, उस

प्रयोजन के लिए प्रयोग की गई भूमि की कलक्टर दर के 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि की दर से वार्षिक शुल्क देय होगा, जिसकी गणना प्रति वर्ग गज आधार पर की जाएगी। आवेदक द्वारा प्रयोग शुल्क बैंक साधन अर्थात् डिमाण्ड ड्राफट/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट /इत्यादि के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत के खाते में अग्रिम के रूप में भुगतान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक संबंधित उप–मण्डल अधिकारी (पंचायती राज) द्वारा तैयार किये गये अनुमान के अनुसार डिमाण्ड ड्राफट/रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से ग्राम पंचायत के पास पुनः स्थापना प्रभार जमा करवाएगा।

(7) आवेदक, उपमण्डल अधिकारी (पंचायती राज) की सलाह/अनुमोदन अनुसार पर्याप्त मात्रा में मैनहोलों की व्यवस्था करते हुये भूमि की ऊपरी सतह से कम से कम एक मीटर नीचे उपयोग अवसंरचना डलवाएगा। आवेदक सतही भार के कारण किसी संभव नुकसान से उसे बचाने के लिए उपयोग पाईप लाईन/केबल के ऊपर प्रतिरोधक की भी व्यवस्था करेगा। आवेदक को दोष दायित्व का भी वचन देना होगा। यदि इस अवधि के दौरान सतह को कोई नुकसान होता है, तो आवेदक अपनी लागत पर सुधारने के लिए भी दायी होगा।

(8) यदि कार्य निष्पादन के दौरान रास्ता अनुपयोगी हो जाता है, तो आवेदक ऐसी अवधि के दौरान वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लोक जन को कोई असुविधा नहीं हो रही है।"।

अनिल कुमार,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास तथा पंचायत विभाग।

[*Authorised English Translation*]

HARYANA GOVERNMENT

DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

Notification

The 28th July, 2017

No. S.O. 55/H.A.11/1994/S.209/2017.— The following draft of the rules further to amend the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 209 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (11 of 1994), is hereby published as required by sub-section (3) of the said section for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the following draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Development and Panchayats Department, Chandigarh from any person in respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified.

Draft Rules

1. These rules may be called the Haryana Panchayati Raj (Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Panchayati Raj Rules, 1995, after rule 12, the following rule shall be inserted, namely:-

"12-A. Grant of permission to dig, alter or damage a street pavement or drain section 24(3).-

(1) In case a street or drain is required to be dug, altered or damaged by the inhabitants of the concerned village for the purpose of having connection from the already laid down pipeline within the abadi area, the permission shall not be granted by the Gram Panchayat unless the person seeking permission has deposited the restoration charges as per the estimates prepared by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj) through Bank Transfer/Demand Draft, as the case may be, to the account of the concerned Gram Panchayat. The Gram Panchayat shall ensure that the pavement/street/drain is restored to its original condition, as soon as possible, but not later than a period of thirty days from the date of completion of the work by the applicant.

(2) In case the street/passage/drain/pavement owned by the Gram Panchayat is required to be dug, altered, damaged or utilized by any person for the purpose of laying down utility infrastructure, the applicant shall submit an application to the Gram Panchayat in this behalf and, thereafter, the Gram Panchayat may considered after passing a resolution, forward the proposal to the concerned Sub Divisional Officer (Civil) through the concerned Block Development and Panchayat Officer.

(3) A Committee headed by the concerned Sub Divisional Officer (Civil) and comprising of (i) the District Town Planner or her representative not below the rank of Assistant Town Planner, (ii) the concerned Block Development and Panchayat Officer, (iii) Sub Divisional Officer (Panchayati Raj), shall consider such application and make its recommendation to the Deputy Commissioner, within thirty days of the application.

(4) The Deputy Commissioner shall examine and forward the report of the Committee with or without modification in the proposal for approval to the Director, Panchayats. The Director, Panchayat may is of opinion that granting of permission is not in public interest, may refuse the grant of permission.

(5) The Director, Panchayat may, either *suo motu* or on application made to him by a Panchayat or an inhabitant of the village or the Block Development and Panchayat Officer, examine the record for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of any approval. If such approval is found detrimental to the interest of the villagers and is no longer required in public interest, the competent authority may, after making such enquiry as it may deem fit, cancel the same. The Panchayat shall be competent to remove the infrastructure and the constructions thereon, if any, for which no compensation shall be payable.

(6) After approval of Director, the applicant shall deposit besides the one time upfront land use charges @ an amount equal to 5% of the Collector rate of the land used for laying the utility infrastructure, annual charges @ of an amount equal to 0.5% of the Collector rate of the land used for the purpose, which shall be worked out on per square meter basis. The user charges shall be payable by the applicant in

advance in the account of the concerned Gram Panchayat through Bank Instruments i.e. Demand Draft/ Real Time Gross Settlement etc. In addition, the applicant shall have to deposit the restoration charges with the Gram Panchayat by way of Demand Draft/ Real Time Gross Settlement/National Electronics Funds Transfer as per the estimates prepared by the concerned Sub Divisional Officer (Panchayati Raj).

(7) The applicant shall have to lay the utility infrastructure at least one meter below the surface of the ground with provision for sufficient number of man-holes, as advised/ approved by the Sub-Divisional-Officer (Panchayati Raj). The applicant shall also provide adequate buffer at the top of the utility pipeline/cable to save the same from any possible damage on account of surface loads. The applicant shall have to undertake a defect liability and if any damage is caused to the surface during this period, the applicant shall be liable to rectify the defects at his cost.

(8) In case the passage becomes unusable during the course of execution of works, the applicant shall be responsible to provide an alternate passage during such period so as to ensure that no inconvenience is caused to the public.".

ANIL KUMAR,
Principal Secretary to Government Haryana,
Development & Panchayats Department.

55533—L.R.—H.G.P., Chd.